



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 314/2020

दायर दिनांक 03.12.2020

वादी

प्रतिवादीगण

1. मुराद खां पुत्र मेहबुब खां उम्र
51 वर्ष जाति कायमखानी
निवासी दाउदसर, तहसील
डीडवाना जिला नागौर
राज0।

बनाम्

1. फेज मोहम्मद खां उर्फ फैजु खां पुत्र
मेहबुब खां उम्र 58 वर्ष
2. हुसैन खां पुत्र मेहबुब खां उम्र 61 वर्ष
3. सतार खां पुत्र मेहबुब खां उम्र 52 वर्ष
समस्त जातिगण कायमखानी निवासीगण
दाउदसर तहसील डीडवाना जिला नागौर
राज0।
4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री शरीफ शेरानी वकील वादी।
2. श्री हकीम खां वकील प्रतिवादी सं0 01।

--: निर्णय :-

दिनांक 21.04.2022

वादी का खातेदारी सरहद खानड़ी, पटवार हल्का दाउदसर, भू0
अभि0 नि0 क्षेत्र धनकोली के खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 03 बीघा, खसरा
सं0 178 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि में मौका रिपोर्ट बाबत दिनांक
20.07.2021 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 171 दिनांक
17.02.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा
प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में
तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के
द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 171 दिनांक 17.02.2022 को
स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद खानड़ी, पटवार
हल्का दाउदसर, भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र धनकोली के खेत खसरा नम्बर 100
रकबा 03 बीघा, खसरा सं0 178 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में इनकी
वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव
जरिये पत्रांक: 171 दिनांक 17.02.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान्
को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 171 दिनांक 17.02.2022
निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त
हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को सरे इजलास में

सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना



डिक्री बमुकदमें इक्वदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 314/2020

दायर दिनांक 03.12.2020

वादी

प्रतिवादीगण

1. मुराद खां पुत्र मेहबुब खां
उम्र 51 वर्ष जाति
कायमखानी निवासी
दाउदसर, तहसील
डीडवाना जिला नागौर
राज0।

बनाम्

1. फेज मोहम्मद खां उर्फ फैजु खां पुत्र मेहबुब खां उम्र 58 वर्ष
2. हुसैन खां पुत्र मेहबुब खां उम्र 61 वर्ष
3. सतार खां पुत्र मेहबुब खां उम्र 52 वर्ष समस्त जातिगण कायमखानी निवासीगण दाउदसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 21.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री शरीफ शैरानी वकील वादी व श्री हकीम खां वकील प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से म्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद खानड़ी, पटवार हल्का दाउदसर, भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र धनकोली के खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 03 बीघा, खसरा सं0 178 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 171 दिनांक 17.02.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 171 दिनांक 17.02.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)